[2021] 3 उम. नि. प. 266

मंजीत सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 875]

24 अगस्त, 2021

न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 319 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 307, 341, 148 और 149] – न्यायालय की अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति – शिकायतकर्ता-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पर कई व्यक्तियों द्वारा आक्रमण करके उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों में से कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल न किया जाना – क्षतिग्रस्त-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा विचारण के दौरान मुख्य परीक्षा में भी प्रस्थापित अभियुक्तों (प्राइवेट प्रत्यर्थियों) को नामित किया जाना और उन्हें समन करने के लिए आवेदन दिया जाना – विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय में आवेदन खारिज हो जाना – जहां विपदग्रस्त-क्षतिग्रस्त साक्षी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के साथ-साथ अपनी मुख्य परीक्षा में भी प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई विनिर्दिष्ट भूमिका सहित उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से नामित किया गया हो, वहां निचले न्यायालयों द्वारा ऐसे अभियुक्तों को विचारण का सामना करने के लिए समन न किया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है और उनका निर्णय विधि और तथ्यों के आधार पर संधार्य न होने के कारण अपास्त करना उचित होगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 319 – न्यायालय की अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति – न्यायालय द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करने का प्रक्रम – जहां

मामले के तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर यह पाया जाता है कि अपराध के कारित करने में अन्य अभियुक्त भी अंतर्ग्रस्त थे किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें आरोप पत्र में नामित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय द्वारा उक्त धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचारण के आरंभ होने और साक्ष्य अभिलिखित करने के प्रक्रम से लेकर विचारण के अंतिम रूप से समापन होने तक किसी भी प्रक्रम पर ऐसे अन्य अभियुक्तों को समन करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

इस अपील के तथ्य यह हैं कि रण सिंह नामक व्यक्ति के कथन के आधार पर उसके पुत्र अमरजीत सिंह की मृत्यु और मंजीत सिंह (इस अपील में अपीलार्थी) को पहुंची क्षतियों के संबंध में पुलिस थाना, असंध में तारीख 27 जुलाई, 2016 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । उसके कथन के अनुसार उसके पुत्र अमरजीत सिंह और उसके भतीजे मंजीत सिंह पर गुरदेव सिंह के पुत्रों सरताज सिंह, तेजपाल सिंह और सुखपाल सिंह और मोहन सरुप के पुत्रों परब शरण सिंह और प्रीत सम्राट द्वारा उस समय आक्रमण किया गया था जब वे धान के लिए नाशकजीवमार खरीदने के पश्चात् अपनी कार में घर वापस आ रहे थे । उन्होंने सरताज सिंह की महेन्द्रा एक्सयूवी रास्ते में खड़ी कर दी और सड़क को बंद कर दिया । वे आयुधों से लैस थे और जब उसका पुत्र अमरजीत सिंह सड़क खुलवाने के लिए अपनी कार से मंजीत सिंह के बाद नीचे उतरा, तो सरताज सिंह ने अपनी लाइसेंसशुदा रिवाल्वर से चार गोलियां दागी जो अमरजीत सिंह की छाती की दांयी तरफ, पेट और कोहनी पर लगीं । सरताज सिंह ने अपनी लाइसेंसशुदा रिवाल्वर से अंधाधुंध गोलियां चलाईं जो भतीजे मंजीत सिंह की छाती पर दांए कंधे के निकट लगी । उसके कथन के अनुसार, अमरजीत सिंह की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और मंजीत सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त सरताज सिंह की प्रेरणा पर तारीख 28 जुलाई, 2016 को एक प्रति-मामला भी रजिस्ट्रीकृत किया गया और इस प्रति-मामला में मंजीत सिंह, नरवैर सिंह और अन्य व्यक्तियों अर्थात् परविन्द्र सिंह पुत्र रण सिंह, सत्कार सिंह पुत्र राजवंत सिंह, राजवंत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह और सुखदीप सिंह पुत्र

सतनाम सिंह के विरुद्ध यह अभिकथन किए गए थे कि इन सभी व्यक्तियों ने उसके शरीर पर क्षतियां कारित की थीं । मामले का अन्वेषण किया गया और अन्वेषण के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में केवल सरताज सिंह के विरुद्ध एक अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई । सभी अन्य अभियुक्तों को वियुक्त कर दिया गया और स्तंभ सं. 2 में रखा गया । प्रति-मामला में के अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई और दो व्यक्तियों के विरुद्ध चालान फाइल किया गया, जहां उनमें से चार को अर्थात् पलविन्द्र सिंह, राजवंत सिंह, सुखदीप सिंह और सत्कार सिंह को स्तंभ सं. 2 में रखा गया । मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और दोनों मामलों में अर्थात् तारीख 27 जुलाई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 और प्रति-मामला से उद्भूत मामले में विचारण आरंभ हुआ । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 से उद्भूत विचारण के दौरान, उक्त मंजीत सिंह (इस अपील में अपीलार्थी) की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई और उसने अपने अभिसाक्ष्य में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को दोहराया । उसकी भागत: प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन एक आवेदन सुखपाल सिंह, तेजपाल सिंह, परब शरण और प्रीत सम्राट को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए दिया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस आवेदन को खारिज कर दिया । उसके पश्चात् उक्त सरताज सिंह ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन एक आवेदन फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन को मंजूर किया गया और पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह के विरुद्ध समन जारी करने का निदेश जारी किया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को नामंजूर करते हुए और सुखपाल सिंह, तेजपाल सिंह, परब शरण और प्रीत सम्राट के विरुद्ध अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन जारी करने से इनकार करते हुए तारीख 5 सितंबर, 2017 को पारित किए गए आदेश से व्यथित और

असंतुष्ट होकर इस अपील में अपीलार्थी-मंजीत सिंह-विपदग्रस्त ने उच्च न्यायलय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 21 जुलाई, 2018 को पारित किए गए उस आदेश के विरुद्ध, जिसके द्वारा प्रति-मामला में सरताज सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह को समन करने के लिए आवेदन को मंजूर किया गया था, सत्कार सिंह और अन्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया । उच्च न्यायालय ने मंजीत सिंह द्वारा फाइल किए गए 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 को तारीख 28 अगस्त, 2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया । यह दांडिक पुनरीक्षण विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा सुखपाल सिंह, तेजपाल सिंह, परब शरण और प्रीत सम्राट को 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 से उद्भूत विचारण का सामना करने के लिए अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को नामंजूर करते हुए तारीख 5 सितंबर, 2017 को पारित किए गए आदेश को चुनौती देते हुए फाइल किया गया था । उच्च न्यायालय ने इसी सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा सत्कार सिंह और अन्य द्वारा फाइल किए गए 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 को मंजूर किया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 21 अप्रैल, 2018 को पारित किए गए उस आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया जिसके द्वारा सरताज सिंह के प्रति-मामला से उद्भूत मामले में धारा 319 के अधीन आवेदन दिया गया था और पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह को विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया था । सरताज सिंह ने उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में पारित किए गए उस निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन समन करते हुए तारीख 28 जुलाई, 2017 को पारित किए गए आदेश को अपास्त कर दिया था, 2021 की दांडिक अपील सं. 298-299 द्वारा इस न्यायालय में

समावेदन किया । इसी न्यायपीठ ने तारीख 15 मार्च, 2021 के विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील मंजूर की और 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया और सरताज सिंह द्वारा तारीख 28 जुलाई, 2016 को दिए गए प्रति-मामला से उद्भूत मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को प्रत्यावर्तित कर दिया । उसके पश्चात् इस अपील में अपीलार्थी मंजीत सिंह द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले के तथ्यों को पूर्व विनिश्चयों में अधिकथित विधि को लागू करते हुए इस न्यायालय की यह राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को खारिज करके और इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचारण का सामना करने हेतु समन करने के लिए इनकार करके तात्विक रूप से गलती की थी । यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में सभी प्राइवेट प्रत्यर्थियों को, जिन्हें अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने की ईप्सा की गई है, उन पर दोषारोपित विनिर्दिष्ट भूमिका के साथ उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से नामित किया गया था । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है कि जब वे वापस आ रहे थे तब महेन्द्रा एक्सयूवी संख्यांक एचआर-40ए-4352 सड़क पर खड़ी थी जो सरताज सिंह और सुखपाल की थी । परब शरण अपने हाथ में लाठी लिए हुए था, तेजपाल के पास एक गंडासी थी, सुखपाल के पास एक डंडा था, सरताज के पास एक रिवाल्वर थी और प्रीत सिंह जीप में बैठा हुआ था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है कि पूर्वोक्त सभी व्यक्तियों ने सामान्य आशय से महेन्द्रा एक्सयूवी एचआर-40ए-4352 ऐसी रीति में खड़ी की थी जिससे पूरी सड़क घेर ली गई थी और वे आयुधों से लैस थे । उपरोक्त विनिर्दिष्ट अभिकथनों के बावजूद, जब आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट फाइल

की गई थी, तो केवल दो व्यक्तियों को आरोप-पत्रित किया गया था और इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में डाला/रखा गया था, यद्यपि वे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित थे । इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों की और से यह पक्षकथन है कि चार विभिन्न पुलिस उप अधीक्षकों ने मामले में जांच की थी और उसके पश्चात् जब उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, तो इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में रखा गया था और इसलिए इस अपील में अपीलार्थी की मुख्य परीक्षा पर विचार/विश्वास करने के बजाय इस बात को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए । तथापि, कोई भी पुलिस अधीक्षक और/या उनकी रिपोर्टें, यदि कोई है, आरोप पत्र का भाग नहीं हैं । पुलिस अधीक्षकों में से कोई भी अन्वेषक अधिकारी नहीं है । यहां तक कि अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र पर संपूर्ण रूप से विचार करने पर अभियुक्तों, इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों जिन्हें स्तंभ सं. 2 में रखा गया है, के संबंध में विनिर्दिष्ट अभिकथनों पर कोई विचार किया गया प्रतीत नहीं होता है । आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट में संपूर्ण चर्चा केवल सरताज सिंह के विरुद्ध है । जहां तक प्राइवेट प्रत्यर्थियों का संबंध है, केवल इस बात का उल्लेख है कि "वर्तमान मामले के अन्वेषण के दौरान श्री बलजिन्द्र सिंह, एचपीएस, पुलिस उप अधीक्षक असंध और श्री कुशल पाल, एचपीएस, पुलिस उप अधीक्षक इन्द्री ने अभियुक्त तेजपाल सिंह, सतपाल सिंह, गुरदेव सिंह के पुत्रों, परब शरण सिंह और प्रीत सम्राट सिंह पुत्र मोहन सरुप सिंह जाति जाट सिख, बंदराला निवासी निर्दोष पाए हैं और तद्नुसार मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149 और 341 हटा दी गई हैं और उन्हें स्तंभ सं. 2 में रखा गया है, जबकि अभियुक्त सरताज सिंह के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है ।" अब उसके पश्चात् जब मुख्य परीक्षा में इस अपील में अपीलार्थी-विपदग्रस्त-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को उन पर दोषारोपित विनिर्दिष्ट भूमिका के साथ विनिर्दिष्ट रूप से नामित किया है तो विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राइवेट प्रत्यर्थियों को विचारण का सामना करने के लिए समन करना चाहिए था । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख किया जाना

आवश्यक है कि जहां तक इस अपील में अपीलार्थी का संबंध है, वह एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । किसी क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का अधिक साक्ष्यिक महत्व होता है और जब तक बाध्यकारी कारण विद्यमान न हों, उनके कथनों को हल्के में त्यक्त नहीं किया जाना चाहिए । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय को प्रतिपरीक्षा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और साक्षी की मुख्य परीक्षा के आधार पर यदि मामला बनता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन किसी व्यक्ति को विचारण का सामना करने के लिए समन किया जा सकता है । अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए पारित किए गए आदेश की पुष्टि करते हुए दिए गए कारणों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने स्वयं यह मत व्यक्त किया है कि अभि. सा. 1 मंजीत सिंह क्षतिग्रस्त साक्षी है और इसलिए उसकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे मृतक के साथ-साथ अग्न्यायुध की क्षतियां पहुंची थीं । तथापि, उसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि मंजीत सिंह के कथन से बढ़ा-चढ़ा कर आलिप्त किए जाने की बात उपदर्शित होती है और प्रत्यर्थियों में से किसी पर कोई क्षति पहुंचाए जाने का दोषारोपण नहीं किया गया है सिवाय इसके कि वे आयुधों से लैस थे और संबंधित क्षतियों का दोषारोपण केवल सरताज सिंह पर किया गया है और यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सरताज सिंह के साथ मौजूद था तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका कोई सामान्य आशय था या मस्तिष्कों का मिलन था या यह जानते थे कि सरताज गोली चलाएगा । पूर्वोक्त तर्काधार कतई संधार्य नहीं हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रक्रम पर न्यायालय के लिए मामले के अभिकथनों का मूल्यांकन करना और/या गुणागुण के आधार पर विचार करना अपेक्षित नहीं है । उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध

अभिकथन आंरभ से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 341, 148 और 149 के अधीन अपराधों के लिए थे । उच्च न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन अपराध को लागू करने के लिए केवल विधिविरुद्ध जमाव का भाग बनना पर्याप्त है और व्यक्तिगत भूमिका और/या स्पष्ट कृत्य अतात्विक है । अत: उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह तर्काधार कि प्रत्यर्थियों में से किसी पर भी कोई क्षति पहुंचाने का दोषारोपण नहीं किया गया है सिवाय इसके कि वे आयुधों से लैस थे और इसलिए उन्हें अभियुक्तों के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है, असंधार्य है । विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारिता और/या शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रहे हैं । अब जहां तक प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में एक सामान्य निर्णय और आदेश पारित किया गया था, तो भी उस प्रक्रम पर इस अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की थी और इसलिए यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, पूर्वोक्त दलील में कोई सार नहीं है । जब एक बार यह पाया गया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन किया जाना चाहिए था और जब इस न्यायालय ने उसी निर्णय और आदेश पर, भले ही 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में, विचार किया था और जब इस न्यायालय ने यह पाया था कि इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और उन्हें विचारण का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए तब विलंब से अपील फाइल करना या सुसंगत समय पर अपील फाइल न करना इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए निदेश न देने का आधार नहीं हो सकता है । (पैरा 14, 14.1, 14.2 और 14.3)

इसी प्रकार, जहां तक इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के पश्चात् से विचारण में काफी प्रगति हो गई है, इसलिए इस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, पूर्वोक्त दलील में कोई सार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । विधि की स्थिर प्रतिपादना के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग विचारण के अंतिम रूप से समाप्त होने से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है । अन्यथा भी, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उस समय पर जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन दिया गया था तब केवल एक साक्षी की परीक्षा की गई थी और अभि. सा. 1 की मुख्य परीक्षा अभिलिखित की गई थी तथा जब अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा की जा रही थी, तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन दिया गया था और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन को खारिज कर दिया था । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को असंधार्य ठहराया जाता है । यदि विद्वान् विचारण न्यायालय ने उस प्रक्रम पर इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती । जो भी स्थिति हो, जैसा कि इसमें मत व्यक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग विचारण के आरंभ होने और साक्ष्य/अभिसाक्ष्य अभिलिखित करने से लेकर और विचारण के समापन से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा और शिकायतकर्ता की ओर से इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश असंधार्य हैं और अभिखंडित तथा अपास्त किए जाने योग्य हैं और तद्नुसार अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं । (पैरा 14.5 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	2021 की दांडिक अपील सं. 606, तारीख 23 जुलाई, 2021 को विनिश्चित : **लक्ष्मण सिंह** बनाम **बिहार राज्य** ;	8.7
[2021]	(2021) 4 स्केल 227 : **सरताज सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	8.13
[2019]	(2019) 6 एस. सी. सी. 368 : **राजेश** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	8.13
[2019]	(2019) 6 एस. सी. सी. 638 : **सुखपाल सिंह खैरा** बनाम **पंजाब राज्य** ;	8.8
[2017]	(2017) 7 एस. सी. सी. 706 : **बृजेन्द्र सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	8.12
[2017]	(2017) 16 एस. सी. सी. 226 : **एस. मोहम्मद इस्पाहनी** बनाम **योगेन्द्र चंडक** ;	8.13
[2014]	(2014) 3 एस. सी. सी. 92 : **हरदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	8.6
[2011]	(2011) 4 एस. सी. सी. 324 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **नरेश** ;	14.1
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 259 : **अब्दुल सय्यद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	14.1
[2003]	(2003) 10 एस. सी. सी. 414 : **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मान सिंह** ;	14.1
[1965]	ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202 : **मसाल्ती** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	8.10
[1960]	ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 725 : **शंभू नाथ सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** ।	8.10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 875.

2018 दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 में पंजाब और हरियाणा न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री जी. एस. गिल, ज्येष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अंकित राज और आर. बसंत, ज्येष्ठ अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – अपीलार्थी/विपदग्रस्त ने यह अपील 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए उक्त पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था और विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 5 सितंबर, 2017 को पारित किए गए उस आदेश की पुष्टि की थी जिसके द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना, असंध में रजिस्ट्रीकृत तारीख 27 जुलाई, 2016 की प्रथम रिपोर्ट सं. 477 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 341, 148 व 149 के अधीन अपराधों के लिए इस अपील में के प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को खारिज कर दिया था ।

2. रण सिंह नामक व्यक्ति के कथन के आधार पर उसके पुत्र अमरजीत सिंह की मृत्यु और वर्तमान अपीलार्थी-मंजीत सिंह को पहुंची क्षतियों के संबंध में पुलिस थाना, असंध में तारीख 27 जुलाई, 2016 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । रण सिंह के कथन के अनुसार उसके पुत्र अमरजीत सिंह और उसके भतीजे मंजीत सिंह पर गुरदेव सिंह के पुत्रों सरताज सिंह, तेजपाल सिंह और सुखपाल सिंह और मोहन सरुप के पुत्रों परब शरण सिंह और प्रीत सम्राट द्वारा उस समय आक्रमण किया गया था जब वे धान के लिए नाशकजीवमार खरीदने के पश्चात् अपनी कार में घर वापस आ रहे थे । उन्होंने सरताज

सिंह की महेन्द्रा एक्सयूवी रास्ते में खड़ी कर दी और सड़क को बंद कर दिया । वे आयुधों से लैस थे और जब उसका पुत्र अमरजीत सिंह सड़क खुलवाने के लिए अपनी कार से मंजीत सिंह के बाद नीचे उतरा, तो सरताज सिंह ने अपनी लाइसेंसशुदा रिवाल्वर से चार गोलियां दागी जो अमरजीत सिंह की छाती की दांई तरफ, पेट और कोहनी पर लगीं । सरताज सिंह ने अपनी लाइसेंसशुदा रिवाल्वर से अंधाधुंध गोलियां चलाईं जो भतीजे मंजीत सिंह की छाती पर दांए कंधे के निकट लगी । रण सिंह के कथन के अनुसार, अमरजीत सिंह की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और मंजीत सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया ।

2.1 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त सरताज सिंह की प्रेरणा पर तारीख 28 जुलाई, 2016 को एक प्रति-मामला भी रजिस्ट्रीकृत किया गया था जो तारीख 27 जुलाई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध लेखबद्ध किया गया था । प्रति-मामला में मंजीत सिंह, नरवैर सिंह और अन्य व्यक्तियों अर्थात् परविन्द्र सिंह पुत्र रण सिंह, सत्कार सिंह पुत्र राजवंत सिंह, राजवंत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह और सुखदीप सिंह पुत्र सतनाम सिंह के विरुद्ध अभिकथन किए गए थे, जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि इन सभी व्यक्तियों ने उसके शरीर पर क्षतियां कारित की थीं ।

2.2 मामले का अन्वेषण किया गया और अन्वेषण के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में केवल सरताज सिंह के विरुद्ध एक अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई । सभी अन्य अभियुक्तों को वियुक्त कर दिया गया और स्तंभ सं. 2 में रखा गया था । प्रति-मामला में के अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई थी और दो व्यक्तियों के विरुद्ध चालान फाइल किया गया था, जहां उनमें से चार को अर्थात् पलविन्द्र सिंह, राजवंत सिंह, सुखदीप सिंह और सत्कार सिंह को स्तंभ सं. 2 में रखा गया था ।

2.3 मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और दोनों मामलों में अर्थात् तारीख 27 जुलाई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 और प्रति-मामला से उद्भूत मामले में विचारण आरंभ हुआ । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 से उद्भूत विचारण के दौरान, इस अपील में

अपीलार्थी की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने अपने अभिसाक्ष्य में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को दोहराया जिनमें इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों अर्थात् सुखपाल सिंह, तेजपाल सिंह, परब शरण और प्रीत सम्राट के विरुद्ध किए गए अभिकथन भी सम्मिलित थे और वह बात दोहराई जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कही गई थी । उसकी भागत: प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन एक आवेदन सुखपाल सिंह, तेजपाल सिंह, परब शरण और प्रीत सम्राट को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए दिया गया । अभि. सा. 1 की आगे प्रतिपरीक्षा को आस्थगित कर दिया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 5 सितंबर, 2017 के आदेश द्वारा 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 से उद्भूत विचारण का सामना करने के लिए अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में सुखपाल सिंह, तेजपाल सिंह, परब शरण और प्रीत सम्राट को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को खारिज कर दिया ।

3. सुखपाल सिंह (तारीख 27 जुलाई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में अभियुक्त) द्वारा दी गई शिकायत, जो तारीख 28 जुलाई, 2016 को लेखबद्ध की गई थी, से उद्भूत प्रति-मामला में अभियोजन पक्ष ने सुखपाल सिंह की अभि. सा. 1 के रूप में, डा. महिन्द्र, चिकित्सा अधिकारी की अभि. सा. 2 के रूप में और भूपिन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा की । उसके पश्चात् उक्त सरताज सिंह ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन एक आवेदन फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलिखित किए गए साक्ष्य के आधार पर सरताज सिंह और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों और अभिलेख पर की सामग्री पर विचार करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को तारीख 21 अप्रैल, 2018 के आदेश द्वारा मंजूर किया और पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह के विरुद्ध

समन जारी करने का निदेश जारी किया ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को नामंजूर करते हुए और सुखपाल सिंह, तेजपाल सिंह, परब शरण और प्रीत सम्राट के विरुद्ध अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन जारी करने से इनकार करते हुए तारीख 5 सितंबर, 2017 को पारित किए गए आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर इस अपील में अपीलार्थी-मंजीत सिंह-विपदग्रस्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया, जिसे 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 के रूप में संख्यांकित किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 21 जुलाई, 2018 को पारित किए गए उस आदेश के विरुद्ध, जिसके द्वारा प्रति-मामला में पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह को समन करने के लिए सरताज सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को मंजूर किया गया था, सत्कार सिंह और अन्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन, 2018 का दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238, फाइल किया ।

5. उच्च न्यायालय ने मंजीत सिंह द्वारा फाइल किए गए 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 को तारीख 28 अगस्त, 2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया । यह दांडिक पुनरीक्षण विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा सुखपाल सिंह, तेजपाल सिंह, परब शरण और प्रीत सम्राट को 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 से उद्भूत विचारण का सामना करने के लिए अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को नामंजूर करते हुए तारीख 5 सितंबर, 2017 को पारित किए गए आदेश को चुनौती देते हुए फाइल किया गया था । उच्च न्यायालय ने इसी सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा सत्कार सिंह और अन्य द्वारा फाइल किए गए 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 को मंजूर किया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 21 अप्रैल, 2018 को पारित किए गए उस आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया जिसके द्वारा सरताज सिंह के प्रति-मामला से उद्भूत मामले में धारा 319 के

अधीन आवेदन दिया गया था और पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह को विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया था ।

6. सरताज सिंह ने उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में पारित किए गए उस निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पलविन्द्र सिंह, सत्कार सिंह, राजवंत सिंह और सुखदीप सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन समन करते हुए तारीख 28 जुलाई, 2017 को पारित किए गए आदेश को अपास्त कर दिया था, 2021 की दांडिक अपील सं. 298-299 द्वारा इस न्यायालय में समावेदन किया । इसी न्यायपीठ ने तारीख 15 मार्च, 2021 के विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील मंजूर की और 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया और सरताज सिंह द्वारा तारीख 28 जुलाई, 2016 को दिए गए प्रति-मामला से उद्भूत मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को प्रत्यावर्तित कर दिया ।

7. उसके पश्चात् इस अपील में अपीलार्थी मंजीत सिंह ने उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 में पारित किए गए उस आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील फाइल की, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने और तारीख 27 जुलाई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 से उद्भूत विचारण का सामना करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए पारित किए गए आदेश की पुष्टि की थी ।

8. मंजीत सिंह की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री जी. एस. गिल, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री अंकित राज और इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत हाजिर हुए ।

8.1 मंजीत सिंह की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री गिल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने तारीख 27 जुलाई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 से उद्भूत विचारण का सामना करने के लिए प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को नामंजूर करके गंभीर गलती की है ।

8.2 यह दलील दी गई कि विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को नामंजूर करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन व्याप्ति, परिधि और शक्तियों का उचित रूप से मूल्यांकन और उस पर विचार नहीं किया था ।

8.3 यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को मंजूर न करके और प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन न करके विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था ।

8.4 अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए और प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए इनकार करते हुए पारित आदेश की पुष्टि करने के लिए दिए गए कारण विधि और तथ्यों के आधार पर संधार्य नहीं हैं ।

8.5 यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य का मूल्यांकन नहीं किया था कि सभी प्राइवेट प्रत्यर्थियों को, जिनको अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में बुलाए जाने की ईप्सा की गई थी, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में विनिर्दिष्ट रूप से नामित किया गया था । यह दलील दी गई कि यहां तक कि अपीलार्थी-अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य में भी प्राइवेट प्रत्यर्थियों को उनकी विनिर्दिष्ट भूमिका के साथ नामित किया गया था । यह दलील दी गई

कि इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था और प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करना चाहिए था ।

8.6 यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में और विशिष्ट रूप से **हरदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायालय यहां तक कि संबंधित साक्षियों की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य परीक्षा में नामित किए गए व्यक्तियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में विचारण का सामना करने के लिए समन कर सकता है । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नामों को न केवल अपीलार्थी-विपदग्रस्त की मुख्य परीक्षा में प्रकट किया गया था अपितु वे विनिर्दिष्ट भूमिका के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी नामित किए गए थे ।

8.7 यह दलील दी गई कि यहां तक कि अभियुक्त को किसी एकल साक्षी के आधार पर भी दोषसिद्ध किया जा सकता है । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **लक्ष्मण सिंह** बनाम **बिहार राज्य**[2] (अब झारखंड) वाले हाल ही के विनिश्चय में मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, जब तक बाध्यकारी परिस्थितियां और कारण न हों, प्रसामान्यत: और कुल मिलाकर क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पर विश्वास किया जाना चाहिए । यह दलील दी गई कि अन्यथा भी अपीलार्थी की प्रतिपरीक्षा की गई है । यह दलील दी गई कि इसलिए मात्र इस कारण कि एक साक्षी है और/या केवल एक व्यक्ति का कथन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त अभियुक्त को समन न करने का आधार नहीं है ।

8.8 यह भी दलील दी गई कि इस प्रक्रम पर उच्च न्यायालय ने

---

[1] (2014) 3 एस. सी. सी. 92.

[2] 2021 की दांडिक अपील सं. 606, तारीख 23 जुलाई, 2021 को विनिश्चित ।

अपीलार्थी के अभिसाक्ष्य/साक्ष्य का गुणागुण के आधार पर मूल्यांकन करके न्यायोचित नहीं किया था । यह दलील दी गई कि जिन बातों पर विचारण के दौरान विचार किया जाना अपेक्षित है, उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के इस प्रक्रम पर किया गया है । यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर पूर्वोक्त कार्यवाही पूरी तरह से अननुज्ञेय है । जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त), **सुखपाल सिंह खैरा** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में और अन्य पश्चात्वर्ती विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर गुणागुण के आधार पर विचार करके और/या साक्ष्य का गुणागुण के आधार पर मूल्यांकन करके न्यायोचित नहीं किया है, जिस पर विचारण के प्रक्रम पर विचार किया जाना चाहिए ।

8.9 यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए और विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए पारित किए गए आदेश की पुष्टि करते हुए दिए गए कारण भी विधि में संधार्य नहीं हैं । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए अभिकथनों और साक्ष्य पर गुणागुण के आधार पर विचार करके न्यायोचित नहीं किया है, जो कि इस प्रक्रम पर पूरी तरह से अननुज्ञेय है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चयों और अन्य विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है ।

8.10 यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में असफल रहा है कि मूल अभियुक्त तथा प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अभिकथन भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 149 के अधीन पूर्वोक्त अपराधों के लिए भी हैं । यह दलील दी गई कि स्थिर विधि के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन आरोप पर विचार

---

[1] (2019) 6 एस. सी. सी. 638.

करते समय प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका और उसका स्पष्ट कृत्य सुसंगत और/या तात्विक नहीं है और यह पर्याप्त है कि अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव का भाग हो । (**मसाल्ती** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] और **शंभू नाथ सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले देखें) । यह दलील दी गई कि इसलिए जब उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि दोनों में से किसी भी प्रत्यर्थी पर कोई क्षति पहुंचाने का दोषारोपण नहीं किया गया है सिवाय इसके कि वे आयुधों से लैस थे और इसलिए उन्हें अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, विधि में असंधार्य है और इस न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 पर अनेक विनिश्चयों में अधिकथित की गई विधि के प्रतिकूल है ।

8.11 यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई ये मताभिव्यक्तियां कि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों का कोई सामान्य आशय या मस्तिष्कों का यह मिलन था कि सरताज सिंह गोली चलाएगा, इस प्रक्रम पर आवश्यक नहीं हैं । यह दलील दी गई कि इस प्रक्रम पर न्यायालय के लिए अभिकथनों और/या साक्ष्य के गुणागुण पर विचार करना अपेक्षित नहीं है । यह दलील दी गई कि इसलिए उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को नामंजूर करते समय उपरोक्त मताभिव्यक्तियां करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था ।

8.12 यह दलील दी गई कि यहां तक कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों में भी उच्च न्यायालय ने **बृजेन्द्र सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेकर एक गंभीर गलती कारित की थी । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में यदि हम उस अंतिम रिपोर्ट को पढ़ें और उस पर विचार करें, जिसके द्वारा प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में रखा गया था, तो प्राइवेट

---

[1] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202.

[2] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 725.

[3] (2017) 7 एस. सी. सी. 706.

प्रत्यर्थियों के विरुद्ध किसी साक्ष्य और/या विनिर्दिष्ट अभिकथनों पर चर्चा किया जाना प्रतीत नहीं होता है । यह दलील दी गई कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में एचसी बलजिन्द्र सिंह, एचपीएस, पुलिस उप अधीक्षक, असंध और श्री कुशल पाल, एचपीएस, पुलिस उप अधीक्षक, इन्द्री की रिपोर्टों के आधार पर रखा गया है, जो कि अन्वेषक अधिकारी तक नहीं हैं और यहां तक कि रिपोर्टें, यदि कोई है, आरोप पत्र का भाग नहीं हैं और न ही पूर्वोक्त अधिकारियों को साक्षियों के रूप में उद्धृत किया गया है । यह दलील दी गई कि इसलिए प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध कोई उचित अन्वेषण नहीं किया गया था और प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध उन विनिर्दिष्ट अभिकथनों पर चर्चा किए बिना, जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए हैं, प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में रखा गया है । यह दलील दी गई कि इसलिए **बृजेन्द्र सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में का विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता है ।

8.13 उपरोक्त दलीलें देने के पश्चात् और **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त), **एस. मोहम्मद इस्पाहनी** बनाम **योगेन्द्र चंडक**[1], **राजेश** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामलों में के विनिश्चयों और **सरताज सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[3] वाले मामले में, जो इसी मामले में प्रति-मामले से उद्भूत हुआ था, इस न्यायालय के हाल ही के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए प्रस्तुत अपील को मंजूर करने और विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त करने तथा परिणास्वरूप प्राइवेट प्रत्यर्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 341, 148 और 149 के अधीन अपराधों के लिए तारीख 28 जुलाई, 2016 के प्रति-मामला से उद्भूत विचारण का सामना करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को मंजूर करने का अनुरोध किया गया है ।

9. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अंकित

---

[1] (2017) 16 एस. सी. सी. 226.

[2] (2019) 6 एस. सी. सी. 368.

[3] (2021) 4 स्केल 227.

राज ने आश्चर्यचकित रूप से प्राइवेट प्रत्यर्थियों का समर्थन किया और यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को ठीक ही खारिज किया था और प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए ठीक ही इनकार किया था ।

10. प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री आर. बसंत द्वारा प्रस्तुत अपील का जोरदार रूप से विरोध किया गया ।

10.1 प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का समर्थन करते हुए प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री आर. बसंत ने निम्नलिखित दलीलें दीं :–

(i) मामले के तथ्य और परिस्थितियों में निचले न्यायालयों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को खारिज करके और प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए इनकार करके कोई गलती नहीं की गई है ;

(ii) प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए इनकार करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा तर्कपूर्ण कारण दिए गए हैं ;

(iii) यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 और 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में एक समान्य निर्णय और आदेश पारित किया गया था, तो भी जब तारीख 28 जुलाई, 2016 के प्रति-मामला में मूल शिकायतकर्ता सरताज सिंह ने 2021 की दांडिक अपील सं. 298-299 के द्वारा इस न्यायालय में समावेदन किया था, उस प्रक्रम पर इस अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती नहीं दी थी ।

यह दलील दी गई कि केवल उसके पश्चात् जब कई सारे साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी है और विचारण अंतिम चरण में है, प्रस्तुत अपील फाइल की गई है । अत: अनुरोध किया गया कि अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग न किया जाए ;

(iv) प्रस्तुत मामले में यहां तक कि जांच चार उच्च श्रेणी पदधारियों द्वारा की गई थी और केवल उसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में डाला/रखा था । यह दलील दी गई कि अन्वेषण के दौरान और उसके पश्चात् उस जांच में भी चार पुलिस उप अधीक्षक थे जो रण सिंह-मूल शिकायतकर्ता की प्रेरणा पर की जा रही थी और जब कोई साक्ष्य नहीं पाया गया तो प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में रखा गया है ;

(v) यह दलील दी गई कि **बृजेन्द्र सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान साक्ष्य एकत्रित किया गया हो और उसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया हो तथा उसके पश्चात् उन्हें स्तंभ सं. 2 में रखा गया हो, तो इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और/या शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए अभिसाक्ष्य की अपेक्षा अधिक महत्व होता है ;

(vi) जब आरंभ में अन्वेषण के पश्चात् प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में डाला/रखा गया था, यद्यपि शिकायतकर्ता के पास अभ्यापत्ति आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर था, किंतु वे ऐसा करने में असफल रहे और उसके पश्चात् अभि. सा. 1-अपीलार्थी का अभिसाक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् जब उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा की जा रही थी तब शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन फाइल किया था ;

(vii) अपीलार्थी, जो प्रति-मामला में स्वयं अभियुक्त है, के

मात्र कथनों के सिवाय अभिलेख पर और कोई सामग्री/साक्ष्य नहीं है और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन करने के लिए ठीक ही इनकार किया था ।

10.2 उपरोक्त दलीलें देने और **बृजेन्द्र सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने के उपरांत प्रस्तुत अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

11. संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

12. प्रस्तुत अपील में जो चुनौती अधीन है वह इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन दिए गए आवेदन को नामंजूर करते हुए तथा इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए इनकार करते हुए पारित किए गए आदेश की पुष्टि करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश है ।

12.1 परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की व्याप्ति और परिधि की विधि पर विचार किया जाना आवश्यक है । **सरताज सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में हाल ही के विनिश्चय में इसी न्यायपीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की व्याप्ति और परिधि से संबंधित विधि पर विस्तारपूर्वक विचार किया था । उक्त विनिश्चय में इस न्यायालय ने **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त), **एस. मोहम्मद इस्पाहनी** बनाम **योगेन्द्र चंडक** (उपर्युक्त) और **राजेश** (उपर्युक्त) वाले मामलों में के विनिश्चयों पर विस्तारपूर्वक विचार किया था । पूर्वोक्त विनिश्चयों का सुसंगत भाग, जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, निम्नलिखित है :–

> "6.1.1 **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों की व्याप्ति और परिधि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319

के उद्देश्य और प्रयोजन इत्यादि पर विस्तार से विचार किया था । उक्त विनिश्चय में यह मत व्यक्त किया गया है कि संपूर्ण प्रयास यह है कि अपराध का वास्तविक अपराधी अदंडित न छूट जाए । यह मत व्यक्त किया गया है कि यह ऋजु विचारण का भी एक भाग है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विधान-मंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंधों को सम्मिलित करने के बारे में सोचा था । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने हेतु सशक्त करने के लिए कि दांडिक न्याय प्रशासन उचित रूप से कार्य कर सके, विधान-मंडल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विधि को यह उपदर्शित करते हुए उचित रूप से संहिताबद्ध और उपांतरित किया गया कि न्यायालयों को अंततोगत्वा कैसे सच्चाई का पता लगाने के लिए अग्रसर होना चाहिए जिससे कि निर्दोष दंडित न हो सके किंतु साथ ही साथ दोषी पर विधि के अधीन कार्यवाही की जा सके । यह भी मत व्यक्त किया है कि न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वास्तविक सच्चाई का पता लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोषी अदंडित बचकर न निकल सके । इस न्यायालय ने पैरा 8 और 9 में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "8. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन सांविधानिक आदेश में एक ऋजु और प्रभावकारी विचारण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध करके निर्बाध न्याय प्रशासन के लिए एक संरक्षात्मक कवच का उपबंध किया गया है जिससे कि अपराध के अभियुक्त का विचारण करने के लिए विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के पश्चात् उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े किंतु साथ ही साथ अपराध के शिकार व्यक्तियों और संपूर्ण समाज को भी यह सुनिश्चित करने के लिए समान सरंक्षण दिया गया है कि दोषी विधि के शिकंजे से बचकर न निकल जाए । यह सुनिश्चित करने के लिए कि दांडिक न्याय प्रशासन उचित रूप से कार्य करे, विधान-मंडल द्वारा न्यायालयों को सशक्त करने

के लिए विधि को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन यह उपदर्शित करते हुए समुचित रूप से संहिताबद्ध और उपांतरित किया गया था कि न्यायालयों को अंततोगत्वा कैसे सच्चाई का पता लगाने के लिए अग्रसर होना चाहिए जिससे कि किसी निर्दोष को दंडित न किया जाए किंतु साथ ही साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अधीन कार्यवाही की जा सके । संविधान और हमारी विधियों के अधीन अतिष्ठित यही वे आदर्श हैं जिनके आधार पर कई ऐसे विनिश्चय किए गए हैं जिनके द्वारा वास्तविक सच्चाई का पता लगाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोषी अदंडित न चला जाए, नवीनतम तरीके और प्रगतिशील साधनों को सृजित किया गया है ।

9. निर्दोषिता की उपधारणा करना देश की साधारण विधि है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक वह दोषी साबित नहीं हो जाता है । अनुकल्पत:, अपराधों के कतिपय प्रवर्ग के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कतिपय कानूनी उपधारणाएं की गई हैं जिनके द्वारा दोषिता की उपधारणा तब तक विद्यमान रहती है जब तक अभियुक्त स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए विधि के अधीन उस पर अधिरोपित भार का निर्वहन नहीं कर देता है । विधान-मंडल द्वारा इन प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था । अत: संपूर्ण प्रयास यह है कि अपराध का वास्तविक अपराधी अदंडित न निकल जाए । यह ऋजु विचारण का भी एक भाग है और हमारी राय में, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधान-मंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 319 को सम्मिलित करने की बात सोची थी । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे रचनात्मक और प्रयोजनात्मक निर्वचन को अपनाया जाना चाहिए, जो न्याय के हित को अग्रसर करता हो और अपराध, जो विचारण की विषयवस्तु है, के कारित करने में किसी व्यक्ति का सह-अपराधी के रूप में न्यायालय के समाधानप्रद विचारण करने

के लिए ऊपरवर्णित स्पष्ट उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा करने के लिए न्यायालय को शक्तियां प्रदत्त करने वाले कानून के आशय को कम न करता हो ।"

6.1.2 उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित पांच प्रश्न विचार के लिए आए थे :–

"(i) वह प्रक्रम क्या है जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है ?

(ii) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त 'साक्ष्य' शब्द का अर्थ केवल प्रतिपरीक्षा करके परख किया गया साक्ष्य हो सकता है या न्यायालय संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर ही उक्त उपबंध के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है ?

(iii) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त 'साक्ष्य' शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया गया है और इसके अतंर्गत अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया गया साक्ष्य भी आता है या 'साक्ष्य' शब्द विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य तक सीमित है ?

(iv) किसी अभियुक्त को दोषारोपित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए अपेक्षित समाधान की प्रकृति क्या है ? क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल तब किया जा सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि समन किए गए अभियुक्त के दोषसिद्ध होने की पूरी संभावना है ?

(v) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का विस्तार उन व्यक्तियों तक होता है जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित नहीं हैं या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो हैं किंतु आरोपित नहीं किए गए हैं या जिन्हें उन्मोचित कर दिया गया है ?"

6.1.3 पूर्वोक्त प्रश्नों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था :–

"12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 जूडेक्स डेम्नटर कम नोसेन्स एब्सोलविटर (जब दोषी दोषमुक्त हो जाता है तो न्यायाधीश की निंदा होती है) सिद्धांत से निकलती है और इस सिद्धांत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधिनियमन में अंतर्निहित परिधि और भावना को स्पष्ट करते हुए अवश्य एक प्रकाशस्तंभ के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए ।

13. न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वास्तविक अपराधी को दंडित करके न्याय किया जाए । जहां अन्वेषक अभिकरण किसी भी कारण से किसी वास्तविक अपराधी को अभियुक्त के रूप में सूची में नहीं रखता है, तो न्यायालय उक्त अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए बुलाने में शक्तिहीन नहीं है । प्रश्न यह है कि न्यायालय को किन परिस्थितियों और किस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यथा अनुध्यात अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ?

14. हमारे समक्ष जो दलीलें दी गई हैं वे बहुत ही व्यापक हैं और विद्वान् काउंसेल ने दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों और उन निर्णयों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है जिनका उक्त प्रयोजन के लिए अवलंब लिया गया था । संविवाद उस प्रक्रम के इर्द-गिर्द केंद्रित है जिस प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा ऐसी शक्तियों का अवलंब लिया जा सकता है और वह सामग्री जिसके आधार पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ।

* * * *

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 न्यायालय को ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात

करती है जो उसके समक्ष मामले में अभियुक्त नहीं है । इस प्रकार, वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके समन जारी किए जाते हैं, वह आवश्यक रूप से पहले से विचारण का सामना करने वाला अभियुक्त नहीं होना चाहिए । वह या तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन फाइल किए गए आरोप पत्र के स्तंभ 2 में नामित व्यक्ति हो सकता है या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम न्यायालय के समक्ष किसी सामग्री में प्रकट किया गया हो, जिस पर अपराध का विचारण करने के लिए विचार किया जाना है, किंतु अन्वेषण नहीं किया गया है । वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी अपराध के कारित करने में सहापराधिता उपदर्शित होती हो और संबद्ध हो ।

18. विधान-मंडल से सभी परिस्थितियों की उपधारणा करने की कल्पना नहीं की जा सकती है और इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि विधान-मंडल द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों को पूर्ण रूप से प्रभावी किया जाए जिससे कि उसमें ऐसी स्थिति सम्मिलित हो सके जिसका न्यायालय को अपराध का विचारण करने के लिए अग्रसर होते समय सामना करना पड़ सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सहापराधिता की संभाव्यता के बावजूद, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, विचारण में दोषारोपित न किए जाने के कारण बचकर न निकल जाए ।

19. न्यायालय न्याय का एकमात्र खजाना है तथा उस पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य डाला गया है और इसलिए हमारी दांडिक न्याय व्यवस्था में न्यायालयों के पास ऐसी शक्तियों की विद्यमानता से इनकार करना अनुचित होगा, जहां यह असामान्य बात नहीं है कि बहुत बार वास्तविक अपराधी अन्वेषक अभिकरण और/या अभियोजन अभिकरण के साथ छल-साधन करके निकल जाते हैं ।

विचारण से बचकर निकलने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि अभियुक्त कई बार अन्वेषण या जांच के प्रक्रम पर भी स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है भले ही वह अपराध के कारित करने से संबद्ध हो ।

* * * *

22. हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 एक सामर्थ्यकारी उपबंध है जिसमें न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी, जो अभियुक्त नहीं है और उसने विचारणाधीन अपराध कारित किया है, कार्यवाही करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु सशक्त किया गया है । यही वह भाग है जो इस न्यायालय के समक्ष निर्देशाधीन है और इसलिए हमारी राय में, इसमें निर्देशित प्रश्न का उत्तर देते हुए हम ऐसा कोई विरोध नहीं पाते हैं जिससे कि उस स्थिति पर विचार करना पड़े जिस स्थिति पर धर्म पाल **बनाम** हरियाणा राज्य [(2014) 3 एस. सी. सी. 306 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3018] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा किया गया था ।

* * * *

47. चूंकि आरोप पत्र फाइल करने के पश्चात् न्यायालय जांच के प्रक्रम पर पहुंचता है और जैसे ही न्यायालय आरोप विरचित कर देता है, विचारण प्रारंभ हो जाता है और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग आरोप पत्र के फाइल हो जाने के पश्चात् और निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207/208 के सुपुदर्गी आदि के प्रक्रम के दौरान, जो कि केवल एक पूर्व-विचारण का प्रक्रम है जिसका आशय प्रक्रिया को प्रारंभ करना है । इस प्रक्रम को सही अर्थ में एक न्यायिक कदम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस प्रक्रम पर मस्तिष्क का न्यायिक रूप से प्रयोग करने की बजाय केवल मस्तिष्क का प्रयोग करने की अपेक्षा

की जाती है । इस पूर्व-विचारण के प्रक्रम पर, मजिस्ट्रेट से न्यायिक कार्य करने की बजाय प्रशासनिक प्रकृति के कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207/208 का अनुपालन सुनिश्चित करना और यदि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मामले को सुपुर्द करना । इसलिए हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना विधिसम्मत होगा कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 से 209 के प्रक्रम पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, मामले के गुणागुण पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने और यह अवधारण करने के लिए निषिद्ध किया गया है कि क्या किसी अभियुक्त को सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का सामना करने के लिए जोड़े जाने या हटाए जाने की आवश्यकता है या नहीं ।

* * * *

53. इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जब तक मामला न्यायालय द्वारा जांच या विचारण के प्रक्रम पर नहीं पहुंचता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । वास्तव में, यह प्रतीत होता है कि धर्म पाल **बनाम** हरियाणा राज्य [(2014) 3 एस. सी. सी. 306 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3018] वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा इस प्रतिपादना में विघ्न नहीं डाला गया था । उस मामले में विवाद का निपटारा उस स्थिति को दृष्टिगत करते हुए किया गया था जिसमें न्यायालय का सरोकार प्रक्रियात्मक विलंब से था और न्यायालय की यह राय थी कि सेशन न्यायालय को उस व्यक्ति को, जो विचारण का सामना नहीं कर रहा है, हाजिर होने और अभियुक्त के रूप में विचारण का सामना करने का निदेश देने के लिए आवश्यक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का प्रक्रम आने तक प्रतीक्षा नहीं करनी

चाहिए । हम संविधान न्यायपीठ द्वारा किए गए इस निर्वचन से पूरी तरह सहमत हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 में सेशन न्यायालय को जब एक बार उसे मामला सुपुर्द कर दिया गया है तो अभियुक्त को जोड़ने की मूल अधिकारिता की शक्ति प्रदत्त की गई है ।

54. हमारी राय में, जांच के प्रक्रम पर किसी साक्ष्य का होना इसके विशुद्ध विधिक अर्थ में अनुध्यात नहीं है और न ही विधान-मंडल ऐसा अनुध्यात कर सकता था क्योंकि अभी साक्ष्य का प्रक्रम नहीं पहुंचता है । न्यायालय के समक्ष एकमात्र जो सामग्री होती है वह अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित की गई सामग्री है और न्यायालय इस प्रक्रम पर प्रथमदृष्ट्या अपने मस्तिष्क का प्रयोग यह पता लगाने के लिए कर सकता है कि क्या अभियोजन पक्ष ने उस व्यक्ति को, जो अभियुक्त हो सकता है, दोषारोपित करने से गलत रूप से छोड़ दिया गया है या जानबूझकर अपवर्जित किया गया है । यह बात यह सुनिश्चित करने के लिए और भी आवश्यक है कि अन्वेषक अभिकरण और अभियोजन अभिकरण ने उन व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष लाने में ऋजुतापूर्वक कार्य किया हो जो विचारण किए जाने योग्य हैं और ऐसे किसी व्यक्ति को जानबूझकर न बचाया गया हो जिसका विचारण होना ही चाहिए था । यह बात न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसके द्वारा न्यायालय को जांच के प्रक्रम पर भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए और यही कारण है कि विधान-मंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में भानपूर्वक अलग-अलग पद अर्थात् जांच या विचारण का प्रयोग किया था ।

55. तद्नुसार, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल विचारण के अग्रसर होने और साक्ष्य

अभिलिखित करने के साथ प्रारंभ होने के पश्चात् कर सकता है और इसमें ऊपर स्पष्ट की गई आपवादिक परिस्थितियों में भी कर सकता है ।

56. उपबंधों का एक अन्य वर्ग और भी है अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200, 201, 202 इत्यादि जो उस जांच का भाग बनते हैं जो धारा 319 के प्रयोजनों के लिए परिवाद मामलों की दशा में लागू होने के लिए सुसंगत हैं । जैसा कि इसमें विचार-विमर्श किया गया है, साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अभिप्रेत है । परिवाद मामला दांडिक विचारण के एक सुभिन्न प्रवर्ग का मामला होता है जहां न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसके पश्चात् 'साक्ष्य अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 के विशुद्ध विधिक अर्थ में कुछ-न-कुछ साक्ष्य आता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंधों में कोई ऐसा निर्बंधन प्रतीत नहीं होता है जिससे कि उस साक्ष्य को विवर्जित किया जा सके जो परिवाद मामलों में यहां तक कि आरोप विरचित किए जाने या आदेशिका जारी किए जाने से पूर्व न्यायालय के समक्ष आया है । किंतु उस प्रक्रम पर चूंकि न्यायालय के समक्ष कोई अभियुक्त नहीं होता है, इसलिए ऐसे साक्ष्य का प्रयोग केवल विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य की संपुष्टि करने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के प्रयोजन के लिए, यदि ऐसा करना अपेक्षित है, किया जा सकता है । इस धारा के प्रयोजन के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ साक्ष्य प्रतीत होना चाहिए जिसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है और कार्यवाहियों के प्रक्रम की बात असंगत है । जहां कई व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों में परिवादी चौकन्ना हो, किंतु न्यायालय की यह राय हो कि कुछ अन्य व्यक्तियों की सहापराधिता को भी इंगित करते हुए कुछ साक्ष्य प्रकट होता है, वहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए न्यायालय/मजिस्ट्रेट

को समर्थ बनाने वाले एक सशक्तकारी उपबंध के रूप में कार्य करती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का प्रयोजन पूर्ण न्याय करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे व्यक्ति, जिनका विचारण किया जाना चाहिए था, उनका भी विचारण किया जाए । इसलिए किसी परिवाद मामले में विचारण के प्रक्रम पर जब परिवादी तथा उसके साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा हो, तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की शक्तियों का अवलंब लेने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है ।"

6.1.4 प्रश्न सं. (iii) अर्थात् क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया गया साक्ष्य भी आता है या "साक्ष्य" शब्द विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य तक सीमित है, का उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने पूर्वोक्त विनिश्चय में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था :–

"58. उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और उस बाधा का निराकरण करने के लिए जिसका विचारण न्यायालयों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामना करना पड़ रहा है, उस विवाद्यक का उन परिस्थितियों का अवलोकन करके अन्वेषण किया जाना चाहिए जिनके कारण न्यायालय के लिए ऐसी शक्तियों का अवलंब लेने की स्थिति उत्पन्न हुई है । वे परिस्थितियां, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को समन करने के लिए न्यायालय द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकाला जा रहा है, उन तथ्यों से और उस सामग्री उपलब्धता से उद्भूत होती हों, जो न्यायालय के समक्ष लाए जाते हैं और उस व्यक्ति को अभिकथित रूप से कारित किए गए अपराध के सहापराधी के रूप में समन करने का आधार बने हैं । उस सामग्री से व्यक्ति की उस अपराध के कारित करने में सहापराधिता प्रकट

होनी चाहिए और यह वह सामग्री होनी चाहिए जो अपराध की जांच या उसके विचारण के दौरान साक्ष्य से प्रतीत होती हो । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यथा प्रयुक्त शब्दों 'जहां.....साक्ष्य से यह प्रतीत होता है' से यह उपदर्शित होता है कि न्यायालय के समक्ष सामग्री होनी चाहिए ।

59. इस विवाद्यक का उत्तर देने से पूर्व, हम 'साक्ष्य' शब्द के अर्थ की परीक्षा करेंगे । साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, 'साक्ष्य' शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं –

> '(1) वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है;
>
> ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं;
>
> (2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं;
>
> ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं ।'

* * * *

78. अत: यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में 'साक्ष्य' शब्द से केवल ऐसा साक्ष्य अभिप्रेत है जो कथनों के संबंध में न्यायालय के समक्ष किया जाता है और जो दस्तावेजों के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है । यह केवल वह साक्ष्य है जिस पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा यह विनिश्चय करने के लिए विचार किया जा सकता है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, न कि अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर ।

* * * *

82. विचारण-पूर्व का यह प्रक्रम वह प्रक्रम है जहां साक्ष्य के आधार पर अपराधों का न्यायनिर्णयन नहीं किया जाता है और इसलिए न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र के साथ-साथ सामग्री लाए जाने के पश्चात् ही आरोप विरचित करने हेतु प्रभावकारी रूप से कार्यवाही करने के लिए इनकी जांच की जा सकती है । आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् अभियोजन पक्ष से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और ऐसा किए जाने तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के विशुद्ध विधिक अर्थ में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है । न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को लाकर अपराध का वास्तविक विचारण अभी आरंभ नहीं होता है । जो सामग्री उपलब्ध होती है वह आरोप पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री होती है । ऐसी स्थिति में, न्यायालय के पास केवल वह प्रारंभिक सामग्री होती है जो आरोप विरचित करके विचारण अग्रसर करने के लिए न्यायालय के समक्ष उसके विचार के लिए प्रस्तुत की गई है ।

83. अत: ऐसी कोई सामग्री नहीं होती है जिसका उपयोग किया जा सके बल्कि वह सामग्री जो न्यायालय के पास अपराध की जांच या विचारण करने के लिए उपलब्ध है, किसी व्यक्ति को समन करने हेतु कारणों के समर्थन के लिए उपयोग कर सकता है और न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात् इसका उपयोग किया जा सकता है या न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, वह उसे अपराध के कारित करने में सहापराधी मानते हुए उपयोग कर सकता है । जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि वह सामग्री न्यायालय के समक्ष अभिलिखित किया गया सटीक साक्ष्य नहीं होती है अपितु न्यायालय द्वारा एकत्रित की गई सामग्री होती है, जिसका अभियुक्त की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति को समन करने के प्रयोजन के लिए पहले ही अभिलिखित किए गए साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए उपयोग किया जा सकता

है । इससे 'साक्ष्य' शब्द के साथ ऐसी सामग्री का उस सामग्री के रूप में सामंजस्य होगा जो उस किसी अन्य सहापराधी का प्रकटीकरण करने के लिए सुकर बनाने हेतु समर्थनकारी प्रकृति की होगी, जिसकी अपराध में सहापराधिता को न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए या तो दबा दिया गया है या उसे बचाया गया है ।

84. अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन यथा प्रयुक्त 'साक्ष्य' शब्द को विचारण के प्रक्रम और यहां तक कि जांच के प्रक्रम भी, जैसी की पहले चर्चा की गई है, इसके व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए । अत: यह समझा जाना चाहिए कि न्यायालय को किसी व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसी किसी सामग्री के आधार पर जो उसके समक्ष लाई गई है, उसे समन करने के पश्चात् कार्यवाही करने की शक्ति है । विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ऐसी सामग्री के आधार पर ऐसी शक्तियों का सतर्कता पूर्वक अवलंब लेने के लिए न्यायालय का कर्तव्य और आबद्धता और अधिक दुर्भर हो जाते हैं ।

85. इसमें ऊपर की गई चर्चा और निकाले गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत किए गए पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य के अतिरिक्त, अन्य सामग्री जो न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात् और विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त की गई है, उसका उपयोग केवल संपुष्टि के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए साक्ष्य का समर्थन करने हेतु किया जा सकता है । इस प्रकार, 'साक्ष्य' शब्द विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य तक सीमित है ।"

6.1.5 प्रश्न (ii) अर्थात् क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द से अभिप्रेत मुख्य परीक्षा में उद्भूत

होने वाला साक्ष्य है या प्रतिपरीक्षा में उद्भूत होने वाला साक्ष्य भी इसके साथ है, का उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने पूर्वोक्त विनिश्चय में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था –

> "86. इसमें निर्देशित दूसरा प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन यथा प्रयुक्त 'साक्ष्य' शब्द के संबंध में है, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन साक्ष्य समझा जा सकने वाला साक्ष्य साक्षियों के वे कथन हैं जो विचारण के दौरान अभिलिखित किए जाते हैं और दस्तावेजी साक्ष्य वे हैं जो साक्ष्य अधिनियम के अनुसार हों, जिनके अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम में दिए गए दस्तावेजी और सामग्री संबंधी साक्ष्य भी हैं । ऐसा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथन से आरंभ होता है, इसलिए यह ऐसा साक्ष्य होता है जिसमें मुख्य परीक्षा के दौरान किए गए कथन भी सम्मिलित होते हैं । राकेश वाले मामले में [(2001) 6 एस. सी. सी. 248 = 2001 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1090 = ए. आई. आर. एस. सी. 2521] यह अभिनिर्धारित किया गया था कि –
>
> > '10. .....यह सही है कि अंततः विचारण के समय पर अभियुक्त को साक्षी की सत्यता की जांच करने के लिए उसकी प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए । किंतु यह प्रक्रम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते समय उद्भूत नहीं होगा । जब एक बार अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर लिया जाता है, निस्संदेह प्रतिपरीक्षा न होने के कारण यह एक प्रथमदृष्ट्या सामग्री होगी जिससे सेशन न्यायालय यह विनिश्चय करने के लिए समर्थ होगा कि क्या धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं ।'
>
> 87. रंजीत सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(1998) 7 एस.

सी. सी. 149 = 1998 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1554 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3148] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि –

> '20. ..... न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए जाने तक प्रतीक्षा करे ।'

88. मोहम्मद शफी **बनाम** रफ़ीक [(2007) 14 एस. सी. सी. 544 = (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 889 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1899] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो अभियुक्त नहीं है किंतु जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्रकट होता है, कार्यवाही करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने हेतु पूर्व-शर्त न्यायालय का समाधान है, जिसके लिए न्यायालय प्रतिपरीक्षा समाप्त हो जाने तक भी प्रतीक्षा कर सकता है और ऐसा करने में कोई अवैधता नहीं होगी । इसी प्रकार का दृष्टिकोण हरभजन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(2009) 13 एस. सी. सी. 608 = (2010)1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1135] वाले मामले में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा अपनाया गया था । हरदीप सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(2009) 16 एस. सी. सी. 785 = (2010) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 335] वाले मामले में इस न्यायालय ने मोहम्मद शफी **बनाम** रफ़ीक [(2007) 14 एस. सी. सी. 544 = (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 889 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1899] वाले मामले में के निर्णय का गलत अनुशीलन किया गया प्रतीत होता है, चूंकि न्यायालय ने यह अर्थान्वयन किया था कि उक्त निर्णय में यह अधिकथित किया गया है कि न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक रूप से साक्षी की प्रतिपरीक्षा किए जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और साक्ष्य का पूर्ण मूल्यांकन करके इस

निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कार्यवाही करने की आवश्यकता है या नहीं ।

89. हमने पूर्व उल्लिखित मामलों में अभिव्यक्त विविध दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार किया है । जब एक बार मुख्य परीक्षा की जाती है, तो कथन अभिलेख का भाग बन जाता है । यह विधि के अनुसार और सही मायने में साक्ष्य होता है, क्योंकि अधिक से अधिक, यह खंडनीय हो सकता है । किसी साक्ष्य का खंडन करने या विवादग्रस्त करने के कारण वह साक्ष्य विचारणीय, सुसंगतता और विश्वास का विषय बन जाता है, जो कि न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने का प्रक्रम होता है । फिर भी यह ऐसा साक्ष्य और ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति की सहापराधिता के बारे में प्रथमदृष्ट्या राय बना सकता है, जो उस अपराध से संबद्ध हो सकता है ।

90. जैसा कि मोहम्मद शफी **बनाम** रफ़ीक [(2007) 14 एस. सी. सी. 544 = (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 889 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1899] और हरभजन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(2009) 13 एस. सी. सी. 608 = (2010)1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1135] वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो अपेक्षित है, वह यह है कि न्यायालय को अवश्य यह प्रतीत होना चाहिए कि कोई अन्य व्यक्ति भी अपराध में अंतर्ग्रस्त हो सकता है जो विचारण का सामना नहीं कर रहा है । इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए पूर्व-शर्त उस प्रथमदृष्ट्या मत के समान है जो मजिस्ट्रेट के लिए अपराध का संज्ञान करने के लिए अपनाया जाना आवश्यक है । अत: ऐसी राय बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों के संबंध में कोई नियमनिष्ठ सिद्धांत अधिकथित नहीं किया जा सकता है और न ही होना चाहिए और यदि मजिस्ट्रेट/न्यायालय मुख्य परीक्षा में प्रकट होने वाले साक्ष्य के

आधार पर ही आश्वस्त हो जाता है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस धारा में 'ऐसे व्यक्ति का विचारण किया जाना चाहिए' के बजाय 'ऐसे व्यक्ति का विचारण किया जा सकता है' शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रम पर परीक्षा और प्रतिपरीक्षा करके एक लघु विचारण किया जाए और उसके पश्चात् उस व्यक्ति, जिसे जोड़ा जाना ईप्सित है, के स्पष्ट कृत्य के आधार पर एक विनिश्चय किया जाए । वास्तव में, इस लघु विचारण से अभियुक्त के रूप में दोषारोपित किए जाने वाले व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होगा, इसके बजाय कतई कोई प्रतिपरीक्षा न की जाए क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की उप धारा (4) को ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति एक नए सिरे से विचारण का हकदार होगा जहां उसे अभियोजन पक्ष के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने, प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराने और उनके आधार पर अपनी दलीलें देने सहित सभी अधिकार होंगे । अत: न्यायालय या मजिस्ट्रेट मुख्य परीक्षा के आधार पर भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है जैसे ही न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रकट होने वाला साक्ष्य ऐसा है कि इसके आधार पर उस व्यक्ति को प्रथमदृष्ट्या विचारण का सामना करने के लिए लाया जाना आवश्यक है । वास्तव में, मुख्य परीक्षा जिसकी प्रतिपरीक्षा करके परख न की गई हो, निस्संदेह स्वयमेव एक साक्ष्य होता है ।

91. इसके अतिरिक्त, हमारी राय में, साक्षी की प्रतिपरीक्षा पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करने के पीछे कोई तर्कसंगत बात प्रतीत नहीं होती है । यह ध्यान में रखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग

करने के समय पर अभियुक्त के रूप में दोषारोपित करने के लिए ईप्सित व्यक्ति किसी प्रकार से विचारण में भाग नहीं ले रहा होता है । यदि प्रतिपरीक्षा को विचार में लिया जाना है, तो अभियुक्त के रूप में दोषारोपित करने के लिए ईप्सित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व साक्षी(साक्षियों) की प्रतिपरीक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया अनुध्यात नहीं की गई है । दूसरी बात, राज्य निरपवाद रूप से और अधिक व्यक्तियों को अभियुक्तों के रूप में नामित करने का विरोध या अभ्यापत्ति नहीं करेगा क्योंकि वह तो तब तक साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने के लिए अभियोजन पक्ष की सहायता ही करेगा जब तक साक्षी(साक्षियों) द्वारा पहले ही विचारण का सामना कर रहे व्यक्तियों की भूमिका को मिटाया जा रहा हो । इतना ही नहीं, दंड प्रक्रिया की धारा 299 में इसमें वर्णित परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में न्यायालय को साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए समर्थ बनाया गया है ।

92. इस प्रकार, उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग मुख्य परीक्षा के पूर्ण होने के प्रक्रम पर किया जा सकता है और न्यायालय को उक्त साक्ष्य की परख प्रतिपरीक्षा में होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह न्यायालय के समाधान पर निर्भर करता है जिसका निष्कर्ष अपराध में विचारण का सामना न कर रहे किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) की सहापराधिता के संबंध में उसके द्वारा अभिलिखित किए कारणों से निकाला जा सकता है ।"

6.1.6 प्रश्न सं. (iv) अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए अपेक्षित समाधान की मात्रा क्या है, का उत्तर देते हुए इस न्यायालय

ने इस मुद्दे पर विभिन्न पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था –

"105. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति एक वैवेकिक और असाधारण शक्ति है । इसका प्रयोग यदा-कदा और केवल उन मामलों में करना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियों में ऐसा करने की आवश्यकता हो । इसका प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश की यह राय है कि कुछ अन्य व्यक्ति भी उस अपराध के कारित करने के दोषी हो सकते हैं । केवल वहां इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रबल और तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रकट होता है, न कि नैमित्तिक रूप से और लापरवाही से करना चाहिए ।

106. इस प्रकार, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथमदृष्ट्या मामला सिद्ध होना चाहिए, जिसको प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर परखना आवश्यक नहीं है, तो भी इसके लिए उस व्यक्ति की सहापराधिता की मात्र अधिसंभाव्यता की अपेक्षा अधिक मजबूत साक्ष्य का होना अपेक्षित है । जिस कसौटी को लागू किया जाना चाहिए, वह उस प्रथमदृष्ट्या मामले की अपेक्षा अधिक हो जिसका प्रयोग आरोप विरचित करते समय किया जाता है, किंतु साक्ष्य के समाधान की उस सीमा से कम हो कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर दोषसिद्ध हो जाएगी । ऐसे समाधान के अभाव में, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने से प्रविरत रहना चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यदि 'साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है' का उपबंध करने का प्रयोजन 'जिसके लिए

ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है' शब्दों से स्पष्ट होता है । प्रयुक्त किए गए शब्द यह नहीं हैं कि 'जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है' । अत: न्यायालय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की दोषिता के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है ।"

6.1.7 प्रश्न सं. (v) अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो है किंतु आरोप पत्रित नहीं किया गया है या उन्मोचित कर दिया गया है, का उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था –

"112. तथापि, ऐसे व्यक्ति के विषय में बहुत फर्क है जिसे उन्मोचित कर दिया गया है । ऐसा व्यक्ति जिसे उन्मोचित कर दिया गया है, उस व्यक्ति की बनिस्वत एक भिन्न स्थिति में होता है जिसका कभी अन्वेषण ही नहीं किया गया था या अन्वेषण तो किया गया था किंतु आरोप पत्रित नहीं किया गया था । ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जांच के प्रक्रम पर होता है और अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री की न्यायिक रूप से परीक्षा करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एक प्रथमदृष्ट्या मामला भी नहीं बनता है । साधारणतया, विचारण में साक्ष्य का प्रक्रम अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री को मात्र साबित करने का होता है और इसलिए उन्मोचित किए गए व्यक्ति के विरुद्ध विद्यमान सामग्री के संबंध में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है । अत: ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अवश्य बाध्यकारी परिस्थितियां विद्यमान होनी चाहिएं । न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि साक्षी जब इस प्रकार उन्मोचित किए गए व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दे रहा होता है,

वह ऐसा केवल प्रतिशोध लेने के लिए या किसी की प्रेरणा पर उसको नामित करने के लिए या ऐसी अन्य बाह्य बातों से न कर रहा हो । न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की विवेचना करने में सतर्क रहना चाहिए और सत्यता का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए । यदि साक्ष्य की ऐसी सावधानी से परीक्षा करने के पश्चात् न्यायालय की यह राय है कि उन्मोचित किए गए व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए साक्ष्य विद्यमान है, तो वह कार्यवाही कर सकता है किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंध का सीधे तौर पर आश्रय लिए बिना केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा ।

* * * *

116. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसका अन्वेषण नहीं किया गया है, या जिस व्यक्ति का नाम आरोप पत्र के स्तंभ 2 में है और उसके विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया गया था, या ऐसा व्यक्ति जिसे उन्मोचित कर दिया गया है । तथापि, ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे उन्मोचित कर दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के साथ पठित धारा 300(5) के उपबंधों का आश्रय लिए बिना सीधे तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती है ।"

6.2 **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि और इसमें ऊपर उद्धृत मताभिव्यक्तियों और निर्दिष्ट किए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए यह प्रकट होता है कि (i) न्यायालय संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न्यायालय को ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तथा

न्यायालय को उन अभियुक्तों के विरुद्ध, जिन्हें समन किया जाना प्रस्थापित है, प्रतिपरीक्षा द्वारा परख किए गए साक्ष्य तक प्रतीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं है ; और (ii) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को, जो यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो है किंतु आरोप पत्रित नहीं किया गया है या ऐसा व्यक्ति जिसे उन्मोचित कर दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन समन किया जा सकता है, बशर्ते साक्ष्य से (यह संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर एकत्रित किए गए साक्ष्य के रूप में हो सकता है), यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का पहले ही विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है ।

6.3 एस. मोहम्मद इस्पाहनी **बनाम** योगेन्द्र चंडक, (2017) 16 एस. सी. सी. 226 वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था –

> "35. इस बात को रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया है, किंतु पुलिस अन्वेषण के पश्चात् उस विशिष्ट व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे आलिप्त किए बिना आरोप पत्र फाइल करती है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और समन करने के प्रक्रम पर यदि विचारण न्यायालय यह पाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन किया जाना चाहिए, भले ही आरोप पत्र में नामित नहीं है, तो भी वह ऐसा कर सकता है । उस प्रक्रम पर, शिकायतकर्ता को भी विचारण न्यायालय से उन अन्य व्यक्तियों को भी समन करने हेतु आग्रह करने के लिए अभ्यापत्ति आवेदन फाइल करने का अवसर दिया जाता है, जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया था किंतु आरोप पत्र में आलिप्त नहीं किया गया था । जब एक बार वह प्रक्रम चला जाता है, न्यायालय फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के फलस्वरूप शक्तिहीन

नहीं है । तथापि, यह धारा तब प्रवर्तित होती है जब विचारण के दौरान प्रस्थापित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रकट होता है ।"

6.4 राजेश **बनाम** हरियाणा राज्य, (2019) 6 एस. सी. सी. 368 वाले मामले में इस न्यायालय ने इसमें ऊपर निर्दिष्ट **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों पर विचार करने के पश्चात् यह भी मत व्यक्त किया था और अभिनिर्धारित किया था कि ऐसे मामले में भी, जहां शिकायतकर्ता को उन अन्य व्यक्तियों को समन करने के लिए विचारण न्यायालय से आग्रह करते हुए अभ्यापत्ति आवेदन फाइल करने का अवसर देने का प्रक्रम चला गया है, जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो किया गया था किंतु आरोप पत्र में नामित नहीं किया गया था, उस मामले में भी न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के फलस्वरूप अभी भी शक्तिहीन नहीं है और उन व्यक्तियों को भी जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तो नामित किया गया था किंतु आरोप पत्र में आलिप्त नहीं किया गया था, विचारण का सामना करने के लिए समन कर सकता है बशर्ते विचारण के दौरान उन प्रस्थापित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रकट होता हो ।"

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन न्यायालय की शक्तियों की व्याप्ति और परिधि पर पूर्वोक्त विनिश्चयों के विनिश्चयाधार का सारांश निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है :–

(i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आरोप पत्रित न किए गए व्यक्तियों को समन करने के लिए संपूर्ण प्रयास यह नहीं है कि अपराध का वास्तविक अपराधी अदंडित न छूट जाए ;

(ii) न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त करना कि दांडिक न्याय प्रशासन समुचित रूप से कार्य करे ;

(iii) विधान-मंडल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विधि

को यह इंगित करते हुए समुचित रूप से संहिताबद्ध और उपांतरित किया गया है कि कैसे न्यायालयों को सत्ता का पता लगाने के लिए अंततोगत्वा अग्रसर होना चाहिए जिससे कि निर्दोष दंडित न हो सके किंतु साथ ही साथ दोषियों को विधि के अधीन लाया जा सके ;

(iv) वास्तविक सत्यता का पता लगाने के लिए न्यायालय के कर्तव्य का निर्वहन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोषी अदंडित न छूट जाए ;

(v) जहां अन्वेषक अभिकरण किसी कारणवश अपराधियों में से किसी वास्तविक अपराधी को अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध नहीं करता है, न्यायालय उक्त अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए बुलाने हेतु शक्तिहीन नहीं है ;

(vi) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात करती है जो उसके समक्ष मामले में अभियुक्त नहीं है ;

(vii) न्यायालय न्याय का एकमात्र खजाना है और उस पर यह कर्तव्य अधिरोपित है कि विधि व्यवस्था को कायम रखे इसलिए हमारी दांडिक न्याय व्यवस्था में न्यायालयों के पास ऐसी शक्तियों की विद्यमानता से इनकार करना अनुचित होगा जहां यह असामान्य बात नहीं है कि कभी-कभी वास्तविक अपराधी अन्वेषक और/या अभियोजक अभिकरण के साथ छलसाधन करके छूट जाते हैं ;

(viii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 एक सामर्थ्यकारी उपबंध है जो न्यायालय को ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए सशक्त करता है जो अभियुक्त नहीं है और विचारणाधीन अपराध कारित किया है ;

(ix) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् और निर्णय सुनाए जाने से पूर्व, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207/208 के अधीन

सुपुर्दगी आदि के प्रक्रम के दौरान के सिवाय, जो केवल एक प्रक्रिया को चालू करने के लिए आशयित पूर्व-विचारण प्रक्रम है, किया जा सकता है ;

(x) न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल विचारण के अग्रसर होने और साक्ष्य के अभिलेखन के साथ आरंभ होने के पश्चात् कर सकता है ;

(xi) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में 'साक्ष्य' शब्द से केवल ऐसा साक्ष्य अभिप्रेत है जो कथनों के संबंध में न्यायालय के समक्ष किया जाता है और जो दस्तावेजों के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है ;

(xii) यह केवल वह साक्ष्य है जिस पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा यह विनिश्चय करने के लिए विचार किया जा सकता है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, न कि अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर ;

(xiii) यदि मजिस्ट्रेट मुख्य परीक्षा में प्रकट होने वाले साक्ष्य के आधार पर भी आश्वस्त हो जाता है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है ;

(xiv) मजिस्ट्रेट/न्यायालय मुख्य परीक्षा में प्रकट होने वाले साक्ष्य के आधार पर भी आश्वस्त है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ;

(xv) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग मुख्य परीक्षा के पूर्ण होने के प्रक्रम पर भी किया जा सकता है और न्यायालय को उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में इसके परीक्षण किए जाने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ;

(xvi) ऐसे मामले में भी जहां शिकायतकर्ता को विचारण न्यायालय को अन्य व्यक्तियों को भी समन करने के लिए, जो

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तो नामित थे किंतु आरोप पत्र में आलिप्त नहीं किया गया है, का आग्रह करते हुए अभ्यापत्ति आवेदन फाइल करने का अवसर चला गया है, उस मामले में भी न्यायालय फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के फलस्वरूप शक्तिहीन नहीं है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित उन व्यक्तियों को भी विचारण का सामना करने के लिए समन कर सकता है जिन्हें आरोप पत्र में आलिप्त नहीं किया गया है, बशर्ते विचारण के दौरान प्रस्तावित अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ साक्ष्य (अभियोजन साक्षियों की मुख्य परीक्षा के रूप में हो सकता है) प्रकट होता हो ;

(xvii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के लिए अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य/साक्ष्य का गुणागुण के आधार पर मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है और/या न्यायोचित नहीं है, जो कि विचारण के दौरान किया जाना चाहिए ।

14. प्रस्तुत मामले के तथ्यों को पूर्वोक्त विनिश्चयों में अधिकथित विधि को लागू करते हुए हमारी यह राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को खारिज करके और इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचारण का सामना करने हेतु समन करने के लिए इनकार करके तात्विक रूप से गलती की थी । यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में सभी प्राइवेट प्रत्यर्थियों को, जिन्हें अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने की ईप्सा की गई है, उन पर दोषारोपित विनिर्दिष्ट भूमिका के साथ उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से नामित किया गया था । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है कि जब वे वापस आ रहे थे तब महेन्द्रा एक्सयूवी संख्यांक एचआर-40ए-4352 सड़क पर खड़ी थी जो सरताज सिंह और सुखपाल की थी । परब शरण अपने हाथ में लाठी लिए हुए था, तेजपाल के पास एक गंडासी थी, सुखपाल के पास एक डंडा था, सरताज के पास एक रिवाल्वर थी और प्रीत सिंह जीप में बैठा हुआ था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह विनिर्दिष्ट

रूप से उल्लिखित है कि पूर्वोक्त सभी व्यक्तियों ने सामान्य आशय से महेन्द्रा एक्सयूवी एचआर-40ए-4352 ऐसी रीति में खड़ी की थी जिससे पूरी सड़क घेर ली गई थी और वे आयुधों से लैस थे । उपरोक्त विनिर्दिष्ट अभिकथनों के बावजूद, जब आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई थी, तो केवल दो व्यक्तियों को आरोप-पत्रित किया गया था और इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में डाला/रखा गया था, यद्यपि वे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित थे । इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से यह पक्षकथन है कि चार विभिन्न पुलिस उप अधीक्षकों ने मामले में जांच की थी और उसके पश्चात् जब उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, तो इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में रखा गया था और इसलिए इस अपील में अपीलार्थी की मुख्य परीक्षा पर विचार/विश्वास करने के बजाय इस बात को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए । **बृजेन्द्र सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले का जोरदार अवलंब लिया गया । तथापि, कोई भी पुलिस अधीक्षक और/या उनकी रिपोर्टें, यदि कोई है, आरोप पत्र का भाग नहीं हैं । पुलिस अधीक्षकों में से कोई भी अन्वेषक अधिकारी नहीं है । यहां तक कि अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र पर संपूर्ण रूप से विचार करने पर अभियुक्तों, इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों जिन्हें स्तंभ सं. 2 में रखा गया है, के संबंध में विनिर्दिष्ट अभिकथनों पर कोई विचार किया गया प्रतीत नहीं होता है । आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट में संपूर्ण चर्चा केवल सरताज सिंह के विरुद्ध है । जहां तक प्राइवेट प्रत्यर्थियों का संबंध है, केवल इस बात का उल्लेख है कि "वर्तमान मामले के अन्वेषण के दौरान श्री बलजिन्द्र सिंह, एचपीएस, पुलिस उप अधीक्षक असंध और श्री कुशल पाल, एचपीएस, पुलिस उप अधीक्षक इन्द्री ने अभियुक्त तेजपाल सिंह, सतपाल सिंह, गुरदेव सिंह के पुत्रों, परब शरण सिंह और प्रीत सम्राट सिंह पुत्र मोहन सरुप सिंह जाति जाट सिख, बंदराला निवासी निर्दोष पाए हैं और तद्नुसार मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149 और 341 हटा दी गई हैं और उन्हें स्तंभ सं. 2 में रखा गया है, जबकि अभियुक्त सरताज सिंह के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है ।"

14.1 अब उसके पश्चात् जब मुख्य परीक्षा में इस अपील में

अपीलार्थी-विपदग्रस्त-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को उन पर दोषारोपित विनिर्दिष्ट भूमिका के साथ विनिर्दिष्ट रूप से नामित किया है तो विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राइवेट प्रत्यर्थियों को विचारण का सामना करने के लिए समन करना चाहिए था । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि जहां तक इस अपील में अपीलार्थी का संबंध है, वह एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मान सिंह**[1], **अब्दुल सय्यद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] और **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **नरेश**[3] वाले मामलों में मत व्यक्त किया गया है, किसी क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का अधिक साक्ष्यिक महत्व होता है और जब तक बाध्यकारी कारण विद्यमान न हों, उनके कथनों को हल्के में त्यक्त नहीं किया जाना चाहिए । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय को प्रतिपरीक्षा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और साक्षी की मुख्य परीक्षा के आधार पर यदि मामला बनता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन किसी व्यक्ति को विचारण का सामना करने के लिए समन किया जा सकता है ।

14.2 अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए पारित किए गए आदेश की पुष्टि करते हुए दिए गए कारणों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने स्वयं यह मत व्यक्त किया है कि अभि. सा. 1 मंजीत सिंह क्षतिग्रस्त साक्षी है और इसलिए उसकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे मृतक के साथ-साथ अग्न्यायुध की क्षतियां पहुंची थीं । तथापि, उसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि मंजीत सिंह के कथन से बढ़ा-चढ़ा कर आलिप्त किए

---

[1] (2003) 10 एस. सी. सी. 414.

[2] (2010) 10 एस. सी. सी. 259.

[3] (2011) 4 एस. सी. सी. 324.

जाने की बात उपदर्शित होती है और प्रत्यर्थियों में से किसी पर कोई क्षति पहुंचाए जाने का दोषारोपण नहीं किया गया है सिवाय इसके कि वे आयुधों से लैस थे और संबंधित क्षतियों का दोषारोपण केवल सरताज सिंह पर किया गया है और यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सरताज सिंह के साथ मौजूद था तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका कोई सामान्य आशय था या मस्तिष्कों का मिलन था या यह जानते थे कि सरताज गोली चलाएगा । पूर्वोक्त तर्काधार कतई संधार्य नहीं हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रक्रम पर न्यायालय के लिए मामले के अभिकथनों का मूल्यांकन करना और/या गुणागुण के आधार पर विचार करना अपेक्षित नहीं है । उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभिकथन आंरभ से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 341, 148 और 149 के अधीन अपराधों के लिए थे । उच्च न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन अपराध को लागू करने के लिए केवल विधिविरुद्ध जमाव का भाग बनना पर्याप्त है और व्यक्तिगत भूमिका और/या स्पष्ट कृत्य अतात्विक है । अत: उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह तर्काधार कि प्रत्यर्थियों में से किसी पर भी कोई क्षति पहुंचाने का दोषारोपण नहीं किया गया है सिवाए इसके कि वे आयुधों से लैस थे और इसलिए उन्हें अभियुक्तों के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है, असंधार्य है । विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारिता और/या शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रहे हैं ।

14.3 अब जहां तक प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में एक सामान्य निर्णय और आदेश पारित किया गया था, तो भी उस प्रक्रम पर इस अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 28 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की थी और

इसलिए यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, पूर्वोक्त दलील में कोई सार नहीं है । जब एक बार यह पाया गया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों के रूप में समन किया जाना चाहिए था और जब इस न्यायालय ने उसी निर्णय और आदेश पर, भले ही 2018 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 3238 में, विचार किया था और जब इस न्यायालय ने यह पाया था कि इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और उन्हें विचारण का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए तब विलंब से अपील फाइल करना या सुसंगत समय पर अपील फाइल न करना इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए निदेश न देने का आधार नहीं हो सकता है ।

14.4 अब जहां तक प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि यद्यपि आरोप पत्र में इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को स्तंभ सं. 2 में रखा गया था और उस प्रक्रम पर शिकायतकर्ता पक्ष ने कोई अभ्यापत्ति आवेदन फाइल नहीं किया था, इस विषय पर **राजेश** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से विचार किया गया था । इस न्यायालय ने पूर्वोक्त विनिश्चय में विनिर्दिष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया था कि यहां तक कि उस मामले में भी जहां शिकायतकर्ता को विचारण न्यायालय से आग्रह करते हुए कि अन्य व्यक्तियों तथा उन्हें जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित थे किंतु आरोप पत्र में आलिप्त नहीं किए गए हैं, के लिए अभ्यापत्ति आवेदन फाइल करने के लिए दिए गए अवसर का प्रक्रम चला गया है, उस मामले में भी न्यायालय फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के फलस्वरूप शक्तिहीन नहीं है ।

14.5 इसी प्रकार, इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के पश्चात् से विचारण में काफी प्रगति हो गई है, इसलिए इस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, पूर्वोक्त दलील में कोई

सार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । विधि की स्थिर प्रतिपादना के अनुसार और जैसा कि **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग विचारण के अंतिम रूप से समाप्त होने से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है । अन्यथा भी, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उस समय पर जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन दिया गया था तब केवल एक साक्षी की परीक्षा की गई थी और अभि. सा. 1 की मुख्य परीक्षा अभिलिखित की गई थी तथा जब अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा की जा रही थी, तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन दिया गया था और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन को खारिज कर दिया था । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को असंधार्य ठहराया जाता है । यदि विद्वान् विचारण न्यायालय ने उस प्रक्रम पर इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती । जो भी स्थिति हो, जैसा कि इसमें मत व्यक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग विचारण के आरंभ होने और साक्ष्य/अभिसाक्ष्य अभिलिखित करने से लेकर और विचारण के समापन से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है ।

15. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा और शिकायतकर्ता की ओर से इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश असंधार्य हैं और अभिखंडित तथा अपास्त किए जाने योग्य हैं और तद्नुसार अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं । परिणामतः, शिकायतकर्ता की ओर से इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को तदद्वारा मंजूर किया जाता है और विद्वान् विचारण न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि 2016 के सेशन मामला सं. 362 में भारतीय

दंड संहिता की धारा 302, 307, 341, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 27 जुलाई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत विचारण का सामना करने के लिए समन किया जाए । तथापि, विनिर्दिष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया जाता है कि इसमें ऊपर की गई मताभिव्यक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केवल प्रथमदृष्ट्या हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय विचारण का विनिश्चय और निपटारा विधि के अनुसार और इसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर तथा उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर करेगा । तद्नुसार यह अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.
